

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :- हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. :- 117/2023


निर्णय दिनांक : 31.01.2025

ओमसिंह आदि बनाम भूमि अधिकारी

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह बुडानिया की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 31.01.2025 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादीगण अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम इण्डाली पटवार हल्का इण्डाली तहसील व जिला झुन्झुनू के हाल भूमि खसरा नं. 784 रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नं. 785 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नं. 786 रकबा 0.18 हेक्टर, खसरा नं. 787 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नं. 788 रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नं. 789 रकबा 0.39 हेक्टर, खसरा नं 821 रकबा 0.17 हेक्टर, खसरा नं. 822 रकबा 0.02 हेक्टर किस्म गैरमुमकिन कुआ, खसरा नं. 823 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं. 824 रकबा 0.19 हेक्टर, खसरा नं. 826 रकबा 0.35 हेक्टर खसरा नं 827 रकबा 0.23 हेक्टर कुल खसरे 12 कुल क्षेत्रफल 2.33 हेक्टर के राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पूर्वज सबल सिंह के हिस्से में से वादीगण को संयुक्त रूप से मुताबिक वंशावली 1/20 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वंशावली निर्णय/डिक्री का भाग रहेगी। तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।


पर्चा डिक्री आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।




(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
(राज.)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	4	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिशनर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	5	योग	


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू